रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 621] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 1997/कार्तिक 15, 1918
No. 621] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1997/KARTIKA 15, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1997

आय-कर

का.आ. 765(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय कर (बारहवाँ) संशोधन नियम, 1997 है ।

(2) ये 2 अप्रैल, 1997 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(i) नियम 5 के उपनियम (1) के पश्चात्, 2 अप्रैल, 1997 से निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"(1क) 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् अर्जित आस्तियों के अवक्षयण की बाबत अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन मोक, निर्धारिती के लिए उनकी वास्तविक लागत पर, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की गई, इन नियमों के परिशिष्ट 1क की सारणी के स्तंभ दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर परिकलित किया जाएगा :

परन्तु विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए किसी आस्ति की बाबत अनुज्ञात सकल अवक्षयण, उक्त आस्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट उपक्रम को परिशिष्ट 1क में विनिर्दिष्ट अवक्षयण के बजाय अपने विकल्प पर परिशिष्ट 1 के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन अवक्षयण अनुज्ञात किया जा सकता है, यदि

अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम तारीख से पूर्व का ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है,

(क) ऐसे किसी उपक्रम की दशा में, जिसने 1 अप्रैल, 1997 से पहले शक्ति का उत्पादन करना आरंभ किया निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए; और

(ख) किसी अन्य उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें इसने शक्ति का उत्पादन करना आरंभ किया है;

परन्तु एक बार प्रयोग किया गया कोई विकल्प अंतिम होगा और सभी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के स्कंध में लागू होगा ।";

(ii) परिशिष्ट 1 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट 1क अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट 1क

उन दरों की सारणी जिन पर अवक्षयण अनुज्ञेय है

[नियम 5 (1क) देखिए]

आस्तियों का वर्ग		वास्तविक लागत पर अवक्षयण मोक प्रतिशतता
क.	**संयंत्र प्रतिष्ठानों सहित उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी :**	
	(i) जल विद्युत्	3.4
	(ii) वाष्प विद्युत् एन एच आर एस और अपशिष्ट ऊष्मा प्रतिप्राप्ति बायलर/संयंत्र	7.84
	(iii) डीजल विद्युत् और गैस संयंत्र	8.24
ख.	**शीतन टावर और परिचालित जल प्रणालियां**	7.84
ग.	**जल विद्युत् प्रणाली के उसके भाग रूप जल विद्युत् संकर्म जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—**	
	(i) बांध, उत्प्लव-मार्ग वियर, नहरें, प्रबलित कंक्रीट अवनालिकाएं और साइफन	1.95
	(ii) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइन और बहाव वाले जलाशय स्टील पाइपलाइन जलद्वार, स्टील के बहाव वाले (जलाशय), जल विद्युत् वाल्व और अन्य जल विद्युत् संकर्म	3.4
घ.	**स्थायी प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं है ।**	
	(i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	3.02
	(ii) ताप-विद्यत् उत्पादन संयंत्र वाले	7.84
	(iii) जल विद्युत् उत्पादन संयंत्र वाले	3.4
	(iv) काष्ठ संरचनाओं—जैसे अस्थायी परिनिर्माण	33.4
	(v) कच्ची सड़कों से भिन्न सड़कें	3.02
	(vi) अन्य	3.02
ङ	**ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर्मर (छतरी वाले) उप केन्द्र उपस्कर और अन्य स्थिर यंत्र (जिसके अन्तर्गत संयंत्र प्रतिष्ठान भी हैं)**	
	(i) 100 किलो वाट् एम्पियर और अधिक की श्रेणी वाले ट्रांसफार्मर (जिसके अन्तर्गत प्रतिष्ठान भी हैं)	7.81
	(ii) अन्य	7.84

च.	**स्विचगियर, जिसके अन्तर्गत केबल कनेक्शन भी हैं**	7.84
छ.	**तड़ित रोधक**	
	(i) केन्द्र टाइप	7.84
	(ii) स्तंभ टाइप	12.77
	(iii) समक्रमिक कन्डेन्सर	5.27
ज.	**बैटरियां**	33.4
	(i) भूमिगत केबल जिसके अन्तर्गत संयोजन बक्से और असंयोजित बक्से भी हैं	5.27
	(ii) केबल वाहिनी प्रणाली	3.02
झ.	**शिरोपरि लाइनें जिनके अन्तर्गत अवलंब भी है**	
	(i) 66 किलोवाट से अधिक उच्चतर सामान्य वॉल्टेज पर प्रचालित गढ़े हुए स्टील की लाइनें	5.27
	(ii) 13.2 किलोवाट से अधिक किन्तु 66 किलोवाट से अनधिक उच्चतर सामान्य वॉल्टेज पर प्रचालित स्टील अवलंबों की लाइनें	7.84
	(iii) स्टील या प्रवलित कंक्रीट अवलंबों पर लाइनें	7.84
	(iv) अभिचारित काष्ठ अवलंबों पर लाइनें	7.84
	मीटर	12.77
ट.	**स्वचालित यान**	33.40
ठ.	**वातानुकूलन संयंत्र**	
	(i) स्थैतिक	12.77
	(iii) उठाऊ	33.40
ड	(i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंगें	12.77
	(ii) कार्यालय उपस्कर	12.77
	(iii) आन्तरिक वायरिंग जिसके अन्तर्गत फिटिंगें और साधित्र भी हैं	12.77
	(iv) स्ट्रीट लाइट फिटिंगें	12.77
ढ.	**किराए पर दिए जाने वाले साधित्र**	
	(i) मोटरों से भिन्न	33.40
ण.	**संचार उपस्कर :**	
	(i) रेडियो और उच्च फ्रिक्वेन्सी वाली प्रणाली	12.77
	(ii) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	12.77
त.	**कोई अन्य आस्तिया जिनके अन्तर्गत उपरोक्त नहीं है**	7.69"

[फा. सं. 149/66/97-टीपीएल भाग-I अधिसूचना सं. 10456]

डा. धीरज भटनागर, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना का. आ. सं. 969(अ) दिनांक 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अन्तिम संशोधन का.आ. सं. 713(अ) दिनांक 7-10-1997 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1997

INCOME-TAX

S.O. 765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Inocme-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rule :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twelfth) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of April, 1997.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(i) after sub-rule (1) of Rule 5, the following shall be inserted with effect from the 2nd Day of April, 1997 :-

" (1A) The allowance under clause (i) of sub-section (1) of Section 32 of the Act in respect of depreciation of assets acquired on or after 1st day of April 1997 shall be calculated at the percentage specified in the second column of the Table in Appendix IA of these rules on the actual cost thereof to the assessee as are used for the purposes of the business of the assessee at any time during the previous year :

Provided that the aggregate depreciation allowed in respect of any asset for different assessment years shall not exceed the actual cost of the said asset;

Provided further that the undertaking specified in clause (i) of sub-section (1) of Section 32 of the Act may, instead of the depreciation specified in Appendix IA, at its option, be allowed depreciation under sub-rule (1) read with Appendix I, if such option is exercised before the due date for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act,

(a) for the Assessment year 1998-99, in the case of an undertaking which began to generate power prior to 1st day of April, 1997; and

(b) for the Assessment year relevant to the previous year in which it begins to generate power, in case of any other undertaking,

provided that any such option once exercised shall be final and shall apply to all the subsequent assessment years.";

(ii) after Appendix I, the Appendix IA shall be inserted as follows, namely

"APPENDIX IA"

Table of rates at which depreciation is admissible
[See Rule 5(1A)]

Class of Assets	Depreciation Allowance as percentage of actual cost
a. Plant and Machinery in generating stations including plant foundations:-	
i) Hydro-electric	3.4
ii) Steam electric NHRS & Waste heat recovery Boilers/plants	7.84
iii) Diesel electric and Gas plant	8.24
b. Cooling towers and circulating water systems	7.84
c. Hydraulic works forming part of Hydro-electric system including:-	
i) Dams, Spillways weirs, canals, reinforced concrete Flumes and syphons	1.95
ii) Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge (tanks) Hydraulic control valves and other hydraulic works.	3.4
d. Building and civil engineering works of permanent character, not mentioned above	
i) Office & showrooms	3.02
ii) Containing Thermo-electric generating plant	7.84

iii) Containing Hydro Electric generating plant	3.4
iv) Temporary erection such as wooden structures	33.4
v) Roads other than Kutcha roads	3.02
vi) Others	3.02
e. Transformers, transformer (Kiosk) sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	7.81
ii) Others	7.84
f. Switchgear including cable connections	7.84
g. Lightning arrestor:	
i) Station type	7.84
ii) Pole type	12.77
ii) Synchronous condensor	5.27
h. Batteries	33.4
i) Underground cable including joint boxes and disconnectioned boxes	5.27
ii) Cable duct system	3.02
i. Overhead lines including supports :	
i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 KV	5.27
ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilo volts	7.84
iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	7.84
iv) Lines on treated wood supports	7.84

j. Meters	12.77
k. Self propelled vehicles	33.40
l. Air conditioning plants:	
i) Static	12.77
ii) Portable	33.40
m. i) Office furniture and fittings	12.77
ii) Office equipments	12.77
iii) Internal wiring including fittings and apparatus	12.77
iv) Street light fittings	12.77
(n) Apparatus let on hire	
i) Other than motors	33.4
ii) Motors	12.77
(o) Communication equipment :	
i) Radio and high frequency carrier system	12.77
ii) Telephone lines and telephones	12.77
(p) Any other assets not covered above	7.69 "

[F. No. 149/66/97-TPL (Part-I/Notification No. 10456)]

Dr. DHEERAJ BHATNAGAR, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide Notification being S.O.No.969 dated 26.3.1962 and last amended by Notification published under S.O.No.713(E) dated 7.10.1997.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997